

दि. 14-09-2023

प्रेस विज्ञप्ति

“सावधान रहें सोलर रूफटॉप उपभोक्ता”

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों के स्थापना यूपीनेडा के पंजीकृत वेण्डर्स के माध्यम से ही कराने पर अनुदान अनुमन्य होगा तथा संयंत्रों पर वारण्टी आदि की सुविधा प्राप्त होगी, अन्यथा की स्थिति में उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। सोलर रूफटॉप संयंत्रों के गुणवत्ता मानकों का विवरण इस लिंक पर उपलब्ध है:—

<http://upneda.org.in/MediaGallery/OCSTGCRSPVSP.pdf>

अतः सोलर रूफटॉप लगाने वाले उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार के नेशनल पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए सोलर रूफटॉप लगाने की कार्यवाही करें, जिससे उन्हें अनुदान सहित सभी सुविधाएँ/लाभ विधिवत रूप से प्राप्त हों सकें।

निदेशक, यूपीनेडा